Sch XIV- F.No. 180v
रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल । नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती
नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी
वो सकुनत नम्बर।

Page No. : **93**
Vol. No. : **33**
Receipt No. : **0332803188**

मानगो | वार्ड नं.-8 अ.क्षे.मानगो | 16421 | मो इकबाल सहला तबसुम्म,मो अबरार सदाब आलम शाजाद आलम,रजिया खातून,रेहाना खातून,आसिफ कुरैसी मो राईस आलम फरहा नाज,सबा नाज शाइस्ता नाज रानी खातून,मो सईद मो रशीद कुरैसी मो खुर्शीद कुरैसी,सब्रा खातून हसीना नाज जमीला खातून

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
1249	1520	0 एकड़ 20.43 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत		सालाना	बकाया				हाल (2023-2024)
			तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2021-2022)	१ ला वर्ष (2022-2023)	
माल	(नकदी)	205.00			205.00	205.00	205.00
गुजारी	(भावली)	51.25			51.25	51.25	51.25
सेस	. . . .	102.50			102.50	102.50	102.50
सूद	. . . .	102.50			102.50	102.50	102.50
मुतफरकात	. . . .	41.00			41.00	41.00	41.00
मीजान		**502.25**			**502.25**	**502.25**	**502.25**

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत		बकाया				मोतालबा हाल (2023-2024)	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष (2021-2022)	१ ला वर्ष (2022-2023)		
माल	(नकदी)			205.00	205.00	205.00	
गुजारी	(भावली)			51.25	51.25	51.25	
सेस	. . . .			102.50	102.50	102.50	
सूद	. . . .			102.50	102.50	102.50	
मुतफरकात	. . . .			41.00	41.00	41.00	
मीजान अदायकारी				**502.25**	**502.25**	**502.25**	

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) : **One Thousand Five Hundred Six Rupees and Seventy Five Paise**

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- **1506.75**

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : **06-02-2024**

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान |

(4)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का कार्यालय, धालभूम जमशेदपुर।

दिनांक	आदेश	की गई कार्रवाई
02/1/2024	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या 11/2020–21 प्राप्त हुआ है, जो मूल रूप से अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या – 11/2020–21 में उल्लेख किया गया है कि मौजा – अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0– 08, खाता नं0– 1249, प्लॉट नं0– 1520(a) रकवा– 0.00.30 हे0, प्लॉट नं0– 1520(b) रकवा– 0.00.50 हे0, प्लॉट नं0 – 1520(c) रकवा– 0.15.70 हे0 भूमि हाल सर्वे खतियान में अनावाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज है। प्लॉट संख्या 1520(a) पर अवैध–दखल बसीरूद्दीन, पिता निजामुद्दीन अवधि 1955 से अंकित है। आवेदकगणों द्वारा समर्पित T.S. NO-163/117/69 of 1963-64 में माननीय मुन्सिफ न्यायालय जमशेदपुर द्वारा दिनांक 17.11.1964 को पारित डिक्री के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद मानिक होमी एवं अन्य बनाम बसीरूद्दीन के बीच हुआ था। उक्त न्यायादेश में 6 (छः) बिन्दुओं पर आदेश पारित किया गया। न्यायादेश में Issue no-3 एवं 4 के पृष्ठ संख्या 6 एवं 16 के अवलोकन स्पष्ट है कि मानिक होमी एवं अन्य (plaintift) मानगो मौजा एवं पारडीह मौजा, खाता नं0–1 प्लॉट नं0 16, रकवा 163 बिधा गैर आबद मालिक भूमि जो खतियान के एवं साल जंगल था पर दारमोकरीदार हक के अन्तर्गत दलील दिनांक 25.09.1919 से दखल पर रहते हुए कृषि उपयोग में लाते हुए जमीन पर अधिभोग रैयत के रूप में उपयोग में लाया जाने लगा। बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 01.01.1956 को लागु हुआ। जिसके पूर्व मानिक होमी एवं अन्य द्वारा उक्त भूमि कृषि उपयोग में जा चुका था एवं मानिक होमी एवं अन्य ने न्यायालय के समक्ष जुलाई 1960 तक उक्त भूमि के कृषि उपयोग को साबित किया गया है। इसलिए मानिक होमी एवं अन्य खास cultivating Possession में 01.01.1956 को थे। इस प्रकार बिहार भूमि सुधार विभाग अधिनियम, 1950 के लागु होने के पूर्व मानिक होमी एवं अन्य को अधिभोग रैयत का अधिकार प्राप्त हो चुका था। अन्ततः माननीय मुन्सिफ न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है आवेदित भूमि कभी भी भूमि सुधार अधिनियम लागु होने के वाबजुद राज्य सरकार को निहित नहीं हुई है बल्कि इस भूमि पर मानिक होमी एवं अन्य को रैयती हक प्राप्त है। अर्थात् उक्त भूमि श्री मानिक होमी एवं अन्य को अधिभोग रैयत का अधिकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त Title Suit के निर्धारण उपरान्त बदरूद्दीन ने Tital Appeal वाद संख्या 95/1964 दायर किया गया जो 05.04.1964 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात बदरूद्दीन ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में द्वितीय अपील 515/1965 दायर किया गया। यह अपील भी अस्वीकृत किया गया एवं दखल देहानी हेतु Executuion case No. 293/1968 के अन्तर्गत Plaintiff को दखल दिला दिया गया। उपरोक्त स्वामित्व के टाईटल वाद में स्वामित्व की पुष्टि होने के उपरांत मानिक होमी एवं अन्य ने पंजीकृत दलील सं0– 608 दिनांक 22.01.1973 के द्वारा गुल मोहम्मद, पिता नजर गुल को बिक्री कर दिया। दलील के मजमुन के अवलोकन से उक्त Execution वाद के उपरान्त मानिक होमी एवं अन्य ने गुल	

INDIA Rs.5 FIVE RUPEES

Scanned with CamScanner

मोहम्मद को हस्तान्तरित किया। जिसके बाद गुल मोहम्मद आवेदित भूमि के स्वामित्व प्राप्त किये। तत्पश्चात Deed of Release दिनांक 26.05.1979 के माध्यम से गुल मोहम्मद एवं अन्य ने एस0के0 जाहुर, पिता एस0के0 भूसि मियाँ के पक्ष में मौजा– 1642, सी0एस0 खाता सं0 1, सी0एस0 प्लॉट सं0 16 समतुल्य आर0एस0 खाता संख्या 548, आर0एस0 प्लॉट नं0– 324 समतुल्य म्युनिसिपल सर्वे संख्या 1249, प्लॉट सं0 1520(a,b,c) 50ft x 178 ft अर्थात् 20.43 डिसमील के हक में रैयती भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया। इसी बीच म्युनिसिपल सर्वे सेटेलमेंट चलाया गया। जिसके अन्तर्गत उपरोक्त भूमि बिहार सरकार खाते में दर्ज हो गया एवं सर्वे खाता में अवैध दखल बसीरूद्दीन पिता निजामुद्दीन अवधि 1955 से अंकित है। उक्त से स्पष्ट है कि एस0के0 जाहुर बनाम बिहार सरकार मु0सं0 263/1981–82 में मामलें में एस0के0 जाहुर द्वारा अपना पक्ष रखते वक्त T.S. NO- 163/117/69 of 1963-64 एवं Title Appeal वाद संख्या 195/1964 एवं द्वितीय अपील वाद सं0 515/1965 पटना हाईकोर्ट द्वारा मानिक होमी एवं अन्य के पक्ष का निर्धारण एवं Execution वाद संख्या 293/1968 से सम्बन्धित दस्तावेज को माननीय बन्दोबस्ती पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके दखल अंकित करने का आदेश पारित किया है। आवेदकगण के द्वारा लगान निर्धारण करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–270 के अन्तर्गत माननीय आयुक्त कोल्हान प्रमंडल के न्यायालय में राज्य सरकार के विरूद्ध मिस केस वाद सं0 60/2020 लाया गया। जिसमें माननीय आयुक्त ने प्रतिपक्ष को सुनने के उपरांत स्पष्ट किया है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के लागु होने के पूर्व plaintiff भूमि पर कृषि उपयोग कर दखलकार थे एवं बिहार भमि सुधार अधिनियम, 1950 के लागु होने के उपरांत plaintiff को स्वतः अधिभोग रैयत के अधिकार समाहित हो गया था। केवल इसलिए की बंदोबस्त वाद सं0 263/1981–82 में सुनवाई के दौरान आवेदकगणों के हित पूर्वज ने उपरोक्त तथ्य अपने पक्ष में रखा गया या नहीं आवेदकगणों के आवेदित भूमि पर अधिभोग रैयत के अधिकार समाप्त नही हो जाता। जहाँ की T.S. NO- 163/117/69 of 1963-64 में उक्त बिंदु पूर्व में तय हो चुका है। उपरोक्त सभी तथ्यों का सम्पुष्ट करते हुए माननीय आयुक्त ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम को स्पष्ट निर्देश दिया है की आवेदकगणों के पक्ष में विधिवत लगान निर्धारण किया जाए। वर्तमान में आवेदित भूमि पर आवेदकगणों का दखल–कब्जा है। अंचल अमीन के द्वारा तैयार नक्शा एवं रेंट रोल तीन प्रति में संलग्न है। सम्बंधित राजस्व उप–निरीक्षक अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक ने मौजा– मानगो, वार्ड नं0– 08, खाता नं0– 1249, प्लॉट नं0– 1520(a,b,c) 50ft x 178 ft अर्थात् 20.43 डिसमील भूमि का वार्षिक लगान वर्ष 1981 से 3/– रू0 प्रति कट्ठा तथा वर्ष 1998 से 10/– रू0 प्रति डी0 अलावे सेस की दर से वसूली हेतु आवेदकगणों के नाम पर लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी, मानगो द्वारा स्वयं जाँच किया।

अतः अभिलेख में वर्णित तथ्यों, संलग्न कागजात, रेन्ट रोल, ट्रेश नक्शा अचंल अधिकारी मानगो के द्वारा स्वयं जाँचोपरांत एवं लगान निर्धारण हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में मौजा– मानगो, वार्ड नं0– 08, खाता नं0– 1249, प्लॉट नं0– 1520(a,b,c) 50ft x 178 ft अर्थात् 20.43 डिसमील भूमि का वार्षिक लगान वर्ष 1981 से 3/– रू0 प्रति कट्ठा तथा वर्ष 1998 से 10/– रू0 प्रति डी0 अलावे सेस की दर से वसूली हेतु 1) श्रीमती रजिया खातून, पति– मो0

Scanned with CamScanner

जाहिर कुरैसी, 2) मो0 इकबाल, पिता स्व0 जाहिर, 3) मो0 अबरार, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 4) शदाब आलम, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 5) शाजाद आलम, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 6) सहला तबस्सुम, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 7) रेहाना खातून, पति स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 8) आसिफ कुरैसी, पिता स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 9) मो0 राईस आलम, पिता स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 10) फरहा नाज, पिता स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 11) सबा नाज, पिता स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 12) शाइस्ता नाज, पिता स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 13) रानी खातून, पिता स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 14) मो0 सईद, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 15) मो0 रशीद कुरैसी, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 16) मो0 खुर्शीद कुरैसी, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 17) सब्रा खातून, पिता स्व0 एस0 के0 जाहूर, 18) हसीना नाज, पिता स्व0 एस0 के0 जाहूर, 19) जमीला खातून, पिता स्व0 एस0 के0 जाहूर, सा0– जाहूर मार्केट, समीप गाँधी मैदान, पो0+थाना– आजादनगर, जिला पूर्वी सिंहभूम के नाम पर लगान निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

तदनुसार अभिलेख मूल में अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, मानगो को भेजें।

08/1/2021
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।

08/1/2021
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।

मिलान किया।
जीत धर्मा
8/1/21
लिपिक
अंचल कार्यालय
मानगो

सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित
गंगा प्रसाद घोष
प्रधान लिपिक 08-01-21
अंचल कार्यालय–मानगो
धारा 76 एक्ट-1 ऑफ 1877 के अन्तर्गत प्रधिकृत

Scanned with CamScanner

Court of Divisional Commissioner
Singhbhum (Kolhan) Division, Chaibasa

Rajiya Khatun And Others ----------Applicants

State of Jharkhand ----------Opposit Party

Misc. Case No.-60/2020.

ORDER

The Instant Miscellaneous Petition has been preferred by the Applicants Rajiya Khatun and Others, Resident of Azadnagar, Purulia Road, Mango, P.O & P.S : Mango, Jamshedpur, Dist: East Singhbhum, Jharkhand under section 270 of Chotanagpur Tenancy Act 1908 has prayed for issue direction to the Opposite parties to considered the Decree passed in Title Suit No. 163/117/69 of 1963-64 which got its finality after disposal of Second Appeal Case no. 515 of 1965 for Fixation of Rent under the Provision of Bihar land Reforms Act, 1950. In Preliminary stage Miscellaneous Application has been admitted and further directed respondents to file show-cause.

Heard the learned counsel for the Applicants and the learned counsel for the respondents and also perused the materials placed on record.

Learned counsel for the Applicants submitted that the Present proceeding has been preferred under section 270 of Chotanagpur Tenancy Act 1908 by the present applicants for non-considering the Rent Fixation Application placed before Learned Land Reforms Deputy Collector Dhalbhum as well as by the learned Circle officer Mango, the aforesaid applicants has further filed the same application before Deputy Commissioners, East Singhbhum and the office bearer has directed to file before D.C.L.R Dhalbhum who has concurrent jurisdiction to entertain the same application, Learned counsel for the Applicants has further submitted that the aforesaid application for fixation of rent which neither has been not registered by the respondents without appropriate reasons.

Learned counsel for the Applicants further placed the facts of the present case is that the Land situated within the Mouza: Mango, Khata No.1, Plot No. 16 corresponding to R.S Khata No. 548, R.S Plot No. 324, corresponding to Municipal ward No. 8, Khata No. 1249 Plot No. 1520, Area measuring 8900 Sq,ft (50 ft x 178 ft) is the subject matter of the dispute. The aforesaid land and other lands originally belongs to Maneek Homi and Others who got possession over the land under *Darmokridar Hak* vide registered deed dated 25-09-1919 and converted the same as agriculture land and utilised the same as tenant occupancy Raiyat. Subsequently the Bihar land Reforms Act, 1950 came enforced on 01.01.1956. after while Maneek Homi and Others has preferred Title Suit No. 163/117/69 of 1963-64 against *Bashiruddin* a (Tracepasser) on some portion of the land which has been decided by Learned Munsif Jamshedpur in favour of the Maneek Homi and Others vide Judgement dated 17/11/1964 by and aggrieved from the aforesaid Judgement *Bashiruddin* has preferred Title Appeal Case No. 95 of 1964 which has also been dismissed by Sub-Judge jumashedpur vide order dated 05/04/1965 and by and aggrieved from the aforesaid order *Bashiruddin* has preferred second appeal Case No. 515 of 1965 before Patna High Court which has been equally dismissed by the Hon'ble Court. After that the aforesaid Maneek Homi and Others has transferred the land in

Scanned with CamScanner

favour of Gul Mohammad and others vide registered sale deed No. 608 dated 22/01/1973 and after that the Gul Mohammad and others has registered deed of release No. 2221 dated 08/05/1979 in favour of the present applicants. Meanwhile municipal survey settlement operation has been conducted by the government and the aforesaid land in dispute is recorded in the name of Anabad Bihar Sarkar and possession of Bashiruddin since 1955 recorded in remarks column, subsequently the present Applicants has preferred a case under section 90 of CNT Act, 1908 which has been accepted by the settlement officer Jamshedpur and directed to record the name of the father of the present applicants in remarks column. Learned Counsel for the Applicants vehimgly argued that the land has been converted and utilised before enforcement of BLR Act therefore the present applicants has occupancy raiyati rights over the land in dispute and rent should be fixed by the respondent authority.

Learned Govt. Pleader and Counsel for the Respondent verbally submitted that in spite of the present applicants has failed to establish the facts that they have applied a Rent fixation case before the Respondents. It is further argued that on administrative point of view respondents has not entertained the Rent Fixation of Govt land, it is also point out by the Learned Govt. Pleader that the even in Proceeding under section 90 of CNT Act, 1908 vide Settlement Case No. 263/ 1981-82 which has been accepted by the Settlement Officer Jamshedpur and directed to record the name of present applicants in remarks column only and has not directed to open Khata in the name of Present Applicants.

Having considered the rival pleas of the counsels of both side and on perusal of records of this case, this court is of the opinion that it is well established on perusal of the issue No. 3 and 4 of Judgement passed in passed in Title Suit No. 163/117/69 of 1963-64 that the Plaintiff were in Khas cultivating possession of land in dispute on 01.01.1956 and the land in dispute is deemed to be settled by the operation of provisions of Bihar land Reforms Act and the plaintiff have acquired occupancy right over the land in dispute. Merely the same facts have either placed or not in Municipal Survey operation it cannot be said that the applicants has loosed their occupancy rights over the land in dispute, whereas the same issue has been decided in title suit in earlier proceeding. It is therefore directed to the Land Reforms Deputy Collector Dhalbhum to Fixed the Rent of land in dispute in favour of the Applicants as per law. For the aforesaid reason, they said application is allowed entirety.

Dictated and Corrected.

बीके 26/6/2020
Commissioner
Singhbhum (Kolhan) Division,
Chaibasa

बीके 26/6/2020
Commissioner
Singhbhum (Kolhan) Division,
Chaibasa

(1) छायाप्रति मेल मिलान किया गया।
(2) अभिप्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि हेतु अनुमानित शुल्क भुगतान किया।
मिलान किया।
26/6/2020

FEE 10

आयुक्त का न्यायालय सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल
सत्यमेव जयते
चाईबासा (झारखंड)

सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि
Bishnu Dev
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय,
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल
चाईबासा
अधिनियम 1/1872 के धारा 76
के अधीन प्रधिकृत

Scanned with CamScanner

①

अनुसूची–XIV फॉर्म संख्या–562

अंचल अधिकारी का कार्यालय, मानगो पूर्वी सिंहभूम।

आदेश–फलक

लगान निर्धारण से सम्बंधित अभिलेख संख्या 11 /2020–21

आदेश की क्रम संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित।
1	2	3
11-2020	भूमि सुधार उप समाहर्ता, धालभूम, जमशेदपुर के कार्यालय पत्रांक 630/रा० दिनांक 13.06.2020 के द्वारा आवेदकगण– 1. श्रीमती रजिया खातून, पतिः मो0 जाहिर कुरैसी, 2. मो0 इकबाल, पिता स्व0 जाहिर, 3. मो0 अबरार, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 4. शदाब आलम, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 5. शाजाद आलम, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 6. सहला तबस्सुम, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 7. रेहाना खातून, पति स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 8. आसिफ कुरैसी, पिता स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 9. मो0 राईस आलम, पिता स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 10. फरहा नाज, पिता स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 11. सबा नाज, पिता स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 12. शाइस्ता नाज, पिता स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 13. रानी खातून, पिता स्व0 मो0 अशीर कुरैसी, 14. मो0 सईद, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 15. मो0 रशीद कुरैसी, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 16. मो0 खुर्शीद कुरैसी, पिता स्व0 मो0 जाहिर कुरैसी, 17. सब्रा खातून, पिता स्व0 एस0 के0 जाहूर, 18. हसीना नाज, पिता स्व0 एस0 के0 जाहूर, 19. जमीला खातून, पिता स्व0 एस0 के0 जाहूर, जातिः शेख, निवासीः जाहूर मार्केट, समीप गाँधी मैदान, पो0+थानाः आजादनगर, शहरः जमशेदपुर, जिलाः पूर्वी सिंहभूम, राज्यः झारखण्ड का लगान निर्धारण से सम्बंधित आवेदन प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में सम्बंधित राजस्व उप–निरीक्षक एवं अंचल अमीन राजस्व अभिलेख एवं स्थल जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करें। सर्वसाधारण सूचना निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 24-11-2020 को उपस्थापित करे। अंचल अधिकारी मानगो। सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित [illegible] 08.01.21 अंचल कार्यालय, मानगो धारा 76 एक्ट 1 आफ 1877 के अन्तर्गत प्राधिकृत मिलान किया (जी० शर्मा) 8/1/21 लिपिक अंचल कार्यालय मानगो	

SHYAM SUNDER PRASAD Govt. Stamp Vendor Jamshedpur Court

अंचल अधिकारी का कार्यालय मानगो, पूर्वी सिंहभूम

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित।
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। राजस्व उप–निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजाः अ0क्षे0 मानगो, वार्ड नं0 8, खाता नं0 1249 प्लॉट नं0 1520(a) रकवा 0.00.30 हे0, प्लॉट नं0 1520(b) रकवा 0.00.50हे0, प्लॉट नं0 1520(c) रकवा 0.15.70हे0 भूमि हाल सर्वे खतियान में अनावाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज हैं। प्लॉट संख्या 1520(a) पर अवैध दखल बसीरुद्दीन, पिता निजामुद्दीन अवधि 1955 से अंकित है। आवेदकगणों द्वारा समर्पित T.S. NO-163/117/69 of 1963–64 में माननीय मुन्सिफ न्यायालय जमशेदपुर द्वारा दिनांक 17.11.1964 को पारित डिक्री के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद मानिक होमी एवं अन्य बनाम बसीरुद्दीन के बीच हुआ था। उक्त न्यायादेश में 6 (छः) विन्दुओं पर आदेश पारित किया गया। न्यायादेश में Issue No. 3 एवं 4 के पृष्ठ संख्या 6 एवं 16 के अवलोकन स्पष्ट है कि मानिक होमी एवं अन्य (Plaintift) मानगो मौजा एवं पारडीह मौजा, खाता नं0 1 प्लॉट नं0 16, रकवा 163 बिघा गैर आबद मालिक भूमि जो खतियान के एवं साल जंगल था पर दारमोकरीदार हक के अन्तर्गत दलील दिनांक 25.09.1919 से दखल पर रहते हुए कृषि उपयोग में लाते हुए जमीन पर अधिभोग रैयत के रुप में उपयोग में लाया जाने लगा। बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 01.01.1956 को लागु हुआ। जिसके पूर्व मानिक होमी एवं अन्य द्वारा उक्त भूमि को कृषि उपयोग में जा चुका था एवं मानिक होमी एवं अन्य ने न्यायालय के समक्ष जुलाई 1960 तक उक्त भुमि के कृषि उपयोग को साबित किया गया है। इसलिए मानिक होमी एवं अन्य खास Cultivating Possession में 01.01.1956 को थे। इस प्रकार बिहार भूमि सुधार विभाग अधिनियम, 1950 के लागु होने के पूर्व मानिक होमी एवं अन्य को अधिभोग रैयत का अधिकार प्राप्त हो चुका था। अन्ततः माननीय मुन्सिफ न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है आवेदित भूमि कभी भी भूमि सुधार अधिनियम लागु होने के बावजुद राज्य सरकार को निहित नहीं हुई है बल्कि इस भूमि पर मानिक होमी एवं अन्य को रैयती हक प्राप्त है। अर्थात उक्त भूमि श्री मानिक होमी एवं अन्य को अधिभोग रैयत का अधिकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त Title Suit के निर्धारण उपरान्त बदरुद्दीन ने Tital Appeal वाद संख्या 95/1964 दायर किया गया जो 05.04.1964 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात बदरुद्दीन ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में द्वितीय अपील 515/1965 दायर किया गया। यह अपील भी अस्वीकृत किया गया एवं दखल देहानी हेतु Execution case No. 293/1968 के अन्तर्गत Plaintiff को दखल दिला दिया गया। उपरोक्त स्वामित्व के टाइटल वाद में स्वामित्व की पुष्टि होने के उपरांत मानिक होमी एवं अन्य ने पंजीकृत दलील सं0 608 दिनांक 22.01.1973 के द्वारा गुल मोहम्मद, पिता नजर गुल को बिक्री कर दिया। दलील के मजमुन के अवलोकन से उक्त Execution वाद के उपरान्त मानिक होमी एवं अन्य ने गुल मोहम्मद को हस्तान्तरित किया। जिसके बाद गुल मोहम्मद आवेदित भूमि के स्वामित्व प्राप्त किये। तत्पश्चात Deed of Release दिनांक 26.05.1979 के माध्यम से गुल मोहम्मद एवं अन्य ने एस0के0 जाहूर, पिता एस0के0 भूसि मियाँ के पक्ष में मौजाः मानगो, थाना नं0. 1642, सी0एस0 खाता स0. 1, सी0एस0 प्लॉट सं0. 16 समतुल्य आर0एस0 खाता संख्या– 548, आर0एस0 प्लॉट नं0– 324 समतुल्य म्युनिसिपल सर्वे खाता सं0. 1249 प्लॉट सं0. 1520(a,b,c) 50ft X 178ft अर्थात 20.43 डिसमील के हक में रैयती भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया। इसी बीच म्युनिसिपल सर्वे सेटेलमेंट चलाया गया। जिसके अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अनावाद बिहार सरकार खाते में दर्ज हो गया एवं सर्वे खाता में अवैध दखल बसीरुद्दीन पिता निजामुद्दीन अवधि 1955 से अंकित है। उक्त से स्पष्ट है कि एस0के0 जाहूर बनाम बिहार सरकार मु0सं0 263/1981–82 के मामले मेंएस0के0 जाहूर द्वारा अपना पक्ष रखते वक्त T.S. No. 163/117/69 of 1963–64 एवं Title Appeal वाद संख्या– 195/1964 एवं द्वितीय अपील वाद सं0. 515/1965 पटना हाईकोर्ट द्वारा मानिक होमी एवं अन्य के पक्ष का निर्धारण एवं Execution वाद संख्या– 293/1968 से सम्बन्धित दस्तावेज को माननीय बन्दोबस्ती पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके दखल अंकित करने का	

SHYAM SUNDER PRASAD
Govt. Stamp Vendor
Jamshedpur Court
Scanned with CamScanner

आदेश पारित किया है। आवेदकगण के द्वारा लगान निर्धारण करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–270 के अंतर्गत माननीय आयुक्त कोल्हान प्रमंडल के न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध निस केस वाद स0. 60/2020 लाया गया। जिसमें माननीय आयुक्त ने प्रतिपक्ष को सुनने के उपरांत स्पष्ट किया है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के लागु होने के पूर्व Plaintiff भूमि पर कृषि उपयोग कर दखलकार थे एवं बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के लागु होने के उपरांत Plaintiff को स्वतः अधिभोग रैयत के अधिकार समाहित हो गया था। केवल इसलिए की बंदोबस्त वाद स0. 263/1981–82 में सुनवाई के दौरान आवेदकगणो के हित पूर्वज ने उपरोक्त तथ्य आपने पक्ष में रखा गया या नहीं आवेदकगणों के आवेदित भूमि पर अधिभोग रैयत के अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। जहाँ की T.S. No. 163/117/69 of 1963–64 में उक्त बिंदु पूर्व में तय हो चूका है। उपरोक्त सभी तथ्यों को सम्पुष्ट करते हुए माननीय आयुक्त ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धालभूम को स्पष्ट निर्देश दिया है की आवेदकगणों के पक्ष में विधिवत लगान निर्धारण किया जाए। वर्तमान में आवेदित भूमि पर आवेदकगणों का दखल–कब्जा है। अंचल अमीन के द्वारा तैयार नक्शा एवं रेंट रोल तीन प्रति में संलग्न है। सम्बंधित राजस्व उप–निरीक्षक अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक ने मौजाः मानगो, वार्ड स0. 8, खाता सं0. 1249 प्लॉट सं0. 1520(a,b,c) 50ft X 178ft अर्थात 20.43 डी0 भूमि का वार्षिक लगान वर्ष 1981 से रु 3/– प्रति कट्ठा एवं 1998 से रु 10/– प्रति डेसीमल अलावे सेस की दर से वसूली हेतु आवेदकगणों के नाम पर लगान निर्धारण हेतु अनुसंशा किया गया है। मैंने भी स्वँम जाँच किया।

अतः हल्का उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक के अनुसंशा के अलोक में आवेदकगणों के नाम पर लगान निर्धारण की अनुसंशा की जाती है।

अतः अभिलेख अग्रतर कार्रवाही हेतु भूमि सुधार उप–समाहर्ता धालभूम जमशेदपुर को भेजें।

लेखापित एंव सशेधित

29/2/20
अंचल अधिकारी
मानगो।

29/2/20
अंचल अधिकारी
मानगो।

मिलान किया।
जीत शर्मा
8/1/21
लिपिक
अंचल कार्यालय
मानगो

सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित
प्रधान लिपिक 08.01.21
अंचल कार्यालय–मानगो
धारा 76 एक्ट 1 ऑफ 1877 के अन्तर्गत प्रधिकृत

Scanned with CamScanner

(7)

सेवा में,
अंचल अधिकारी
मानगो।

दिनांक 28/12/2020

विषयः– लगान निर्धारण के सम्बन्ध में।

महाशय,

आदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ में राजस्व अभिलेखों के साथ जाँच करने पर पाया गया कि मौजाः अ0क्षे0 मानगो, वार्ड नं0 8, खाता नं0 1249 प्लॉट नं0 1520(a) रकवा 0.00.30 हे0, प्लॉट नं0 1520(b) रकवा 0.00.50हे0, प्लॉट नं0 1520(c) रकवा 0.15.70हे0 भूमि हाल सर्वे खतियान में अनावाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज हैं। प्लॉट संख्या 1520(a) पर अवैध दखल बसीरुद्दीन, पिता निजामुद्दीन अवधि 1955 से अंकित है। आवेदकगणों द्वारा समर्पित T.S. NO- 163/117/69 of 1963–64 में माननीय मुन्सिफ न्यायालय जमशेदपुर द्वारा दिनांक 17.11.1964 को पारित डिक्री के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद मानिक होमी एवं अन्य बनाम बसीरुद्दीन के बीच हुआ था। उक्त न्यायादेश में 6 (छः) विन्दुओं पर आदेश पारित किया गया। न्यायादेश में Issue No. 3 एवं 4 के पृष्ठ संख्या 6 एवं 16 के अवलोकन स्पष्ट है कि मानिक होमी एवं अन्य (Plaintift) मानगो मौजा एवं पारडीह मौजा, खाता नं0 1 प्लॉट नं0 16, रकवा 163 बिघा गैर आबद मालिक भूमि जो खतियान के एवं साल जंगल था पर दारमोकरीदार हक के अन्तर्गत दलील दिनांक 25.09.1919 से दखल पर रहते हुए कृषि उपयोग में लाते हुए जमीन पर अधिभोग रैयत के रुप में उपयोग में लाया जाने लगा। बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 01.01:1956 को लागु हुआ। जिसके पूर्व मानिक होमी एवं अन्य द्वारा उक्त भूमि को कृषि उपयोग में जा चुका था एवं मानिक होमी एवं अन्य ने न्यायालय के समक्ष जुलाई 1960 तक उक्त भुमि के कृषि उपयोग को साबित किया गया है। इसलिए मानिक होमी एवं अन्य खास Cultivating Possession में 01. 01.1956 को थे। इस प्रकार बिहार भूमि सुधार विभाग अधिनियम, 1950 के लागु होने के पूर्व मानिक होमी एवं अन्य को अधिभोग रैयत का अधिकार प्राप्त हो चुका था। अन्ततः माननीय मुन्सिफ न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है आवेदित भूमि कभी भी भूमि सुधार अधिनियम लागु होने के बावजुद राज्य सरकार को निहित नहीं हुई है बल्कि इस भूमि पर मानिक होमी एवं अन्य को रैयती हक प्राप्त है। अर्थात उक्त भूमि श्री मानिक होमी एवं अन्य को अधिभोग रैयत का अधिकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त Title Suit के निर्धारण उपरान्त बदरुद्दीन ने Title Appeal वाद संख्या 95/1964 दायर किया गया जो 05.04.1964 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात बदरुद्दीन ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में द्वितीय अपील 515/1965 दायर किया गया। यह अपील भी अस्वीकृत किया गया एवं दखल देहानी हेतु Execution case No. 293/1968 के अन्तर्गत Plaintiff को दखल दखल दिला दिया गया। उपरोक्त स्वामित्व के टाइटल वाद् में स्वामित्व की पुष्टि होने के उपरांत मानिक होमी एवं अन्य ने पंजीकृत दलील सं0 608 दिनांक 22.01.1973 के द्वारा गुल मोहम्मद, पिता नजर गुल को बिक्री कर

Scanned with CamScanner

दिया। दलील के मजमुन के अवलोकन से उक्त Execution वाद के उपरान्त मानिक होमी एवं अन्य ने गुल मोहम्मद को हस्तान्तरित किया। जिसके बाद गुल मोहम्मद आवेदित भूमि के स्वामित्व प्राप्त किये। तत्पश्चात Deed of Release दिनांक 26.05.1979 के माध्यम से गुल मोहम्मद एवं अन्य ने एस0के0 जाहूर, पिता एस0के0 भूसि मियाँ के पक्ष में मौजाः मानगो, थाना नं0. 1642, सी0एस0 खाता स0. 1, सी0एस0 प्लॉट सं0. 16 समतुल्य आर0एस0 खाता संख्या– 548, आर0एस0 प्लॉट नं0– 324 समतुल्य म्युनिसिपल सर्वे खाता सं0. 1249 प्लॉट सं0. 1520(a,b,c) 50ft X 178ft अर्थात 20.43 डिसमील के हक में रैयती भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया। इसी बीच म्युनिसिपल सर्वे सेटेलमेंट चलाया गया। जिसके अन्तर्गत उपरोक्तभूमि अनावाद बिहार सरकार खाते में दर्ज हो गया एवं सर्वे खाता में अवैध दखल बसीरुद्दीन पिता निजामुद्दीन अवधि 1955 से अंकित है। उक्त से स्पष्ट है कि एस0के0 जाहूर बनाम बिहार सरकार मु0सं0 263/1981–82 के मामले मेंएस0के0 जाहूर द्वारा अपना पक्ष रखते कि T.S. No. 163/117/69 of 1963–64 एवं Title Appeal वाद संख्या– 195/1964 एवं द्वितीय अपील वाद सं0. 515/1965 पटना हाईकोर्ट द्वारा मानिक होमी एवं अन्य के पक्ष का निर्धारण एवं Execution वाद संख्या– 293/1968 से सम्बन्धित दस्तावेज को माननीय बन्दोबस्ती पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके दखल अंकित करने का आदेश पारित किया है। आवेदकगण के द्वारा लगान निर्धारण करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–270 के अंतर्गत माननीय आयुक्तकोल्हान प्रंडल के न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध मिस केस वाद स0. 60/2020 लाया गया। जिसमें माननीय आयुक्तनेप्रतिपक्ष को सुनने के उपरांत स्पष्ट किया है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के लागु होने के पूर्व Plaintiff भूमि पर कृषि उपयोग कर दखलकार थे एवं बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के लागु होने के उपरांत Plaintiff को स्वतः अधिभोग रैयत के अधिकार समाहित हो गया था। केवल इसलिए की बंदोबस्त वाद स0. 263/1981–82 में सुनवाई के दौरान आवेदकगणो के हित पूर्वज ने उपरोक्ततथ्य आपने पक्ष में रखा गया या नहीं आवेदकगणों के आवेदित भूमि पर अधिभोग रैयत के अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। जहाँ की T.S. No. 163/117/69 of 1963–64 में उक्त बिंदु पूर्व में तय हो चूका है। उपरोक्तसभी तथ्यों को सम्पुष्ट करते हुए माननीय आयुक्तने भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धालभूम को स्पष्ट निर्देश दिया है की आवेदकगणों के पक्ष में विधिवत लगान निर्धारण किया जाए। वर्तमान में आवेदित भूमि पर आवेदकगणों का दखल–कब्जा है। अंचल अमीन के द्वारा तैयार नक्शा एवं रेंट रोल तीन प्रति में संलग्न है। अतः उपरोक्तके अलोक में लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा की जाती है।

राजस्व उप–निरीक्षक

मिलान किया।
जीत शर्मा
8/1/21
लिपिक
अंचल कार्यालय
मानगो

सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित
प्रधान लिपिक 08.01.21
अंचल कार्यालय–मानगो
धारा 76 एक्ट 1 ऑफ 1977 के अन्तर्गत प्रधिकृत

अंचल निरीक्षक

Scanned with CamScanner